उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4

संख्या-144/2020/1573/20-27-सिं0-4-19(रिट)(एन0जी0टी0)/2016

लखनऊ दिनांक 27 जुलाई, 2020

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-190/2016, सुशील राघव एवं ए0एन0आर0 बनाम सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरटी व अन्य के सम्बन्ध में है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में सिंचाई विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश ओखला को उपरोक्त वाद की पैरोकारी करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाना है, जिनके द्वारा विषयगत प्रकरण में समय-समय पर भविष्य में आयोजित होने वाली बैठकों में प्रतिभाग किया जायेगा।

2. अत: विषयगत प्रकरण में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश ओखला को उक्त वाद में नोडल अधिकारी एवं पैरोकार नामित किया जाता है।

3. नोडल अधिकारी समय-समय पर मा0 हरित अधिकरण के समक्ष दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रकरण से सम्बन्धित बैठकों में शासन का प्रतिनिधित्व करेंगे एवं कृत कार्यवाही एवं अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत करायेगे।

मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव।

<u>संख्या-144/2020/1573/25(1)/20-27-सिं0-4 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, ओखला।
4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।